


# Traditional Approach : Comparative Politics

Dr. Akhlaq Ahmad Dept. of Pol. Sc.  
D.K. College

राजनीति विज्ञान में राजनीति संस्थाओं, संविधानों व सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन का अत्यधिक महत्त्व और महत्त्व अतीत है। राजनीति संस्थाओं व सरकारों के अध्ययन के प्रारंभिक प्रयासों को तथा उसके बाद के कुछ अध्ययनों को परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया जाया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दो स्तर उभरे हैं। उपागम अर्थात् में इनका वर्गीकरण दो श्रेणियों में हो सकता है — पारंपरिक और आधुनिक।

पारंपरिक उपागम विचारानुसंग और मूल्यानुसंग गृहीत के होते हैं। ये उपागम संस्थागत, मूल्य प्रधान, अभिव्यक्ति, असत्यापनीय व क्लिष्टतात्मक ही रहे, जबकि आधुनिक उपागम आनुभविक और वैज्ञानिक हैं। सारांशतः पारंपरिक उपागमों में सम्मिलित हैं : (i) दार्शनिक, (ii) ऐतिहासिक, (iii) कानूनी या वैधिक, और (iv) संस्थागत उपागम।

आधुनिक उपागमों के अंतर्गत हैं : (i) व्यवहारवादी उपागम, और (ii) व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम के अंतर्गत हैं — निवेश-निर्गत एवं संस्थात्मक-कार्यात्मक उपागम।



जिन विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययनों को परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित किया जाया है ओं — बार्कर, लास्की, कार्ल जे. फ्रेडरिक, हरमन फ्राय



मगुरत हैं। इनके अलावा आंग व जिंक तथा गुनये के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग का यूरोप की खगैव्यायिक संस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या की। परंतु, मुख्य रूप से यह अध्ययन अपने दंग में निवर्तनात्मक ही रहे हैं। इन्होंने अपने अपनी तुलनाओं का उद्देश्य समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक भावना विश्लेषणात्मक नहीं बनाया। परम्परागत तुलनात्मक ~~सम~~ उभय ~~राजनीति~~ अध्ययन मुख्यतः पाश्चात्य राजनीति के व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित थे। इस सीमित क्षेत्र में भी मुख्यतः प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का ही अध्ययन किया गया। और अलोकसंग्रहिक व्यवस्थाओं को प्रजातंत्रिक आंदोलों के पृष्ठभूमि या विचलित कहकर उन्हें अपने अध्ययन क्षेत्र से अलग रखा गया।

ऐतिहासिक उपागम (Historical Approach) :-

इस उपागम के अंतर्गत निम्न-निम्न राज्यों की शासन-प्रणालियों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना प्रारंभिक है, और यह पता लगाने हैं कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए और संचालित प्रणालियों के विकास के लिए सौं-सौं के उपाय कौन-कौन से चाहिए? ऐतिहासिक उपागम के संस्थापकों में इतालवी विचारक, निकोलो मैकिावेली, फ्रांसीसी फ्रांसीसी दार्शनिकों - वाल्टर बेजहॉट तथा हेनरी सैमरमैन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति-विश्लेषण के ऐतिहासिक उपागम को अपनाकर जो निष्कर्ष निकाले, वे राजनीति-सिद्धान्त की मुख्य धारा का अंग बन गए हैं।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत तथ्यों का अन्वेषण और प्रयोग किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम पूरे तथ्य एकत्र न कर पाएँ, या सीमित काल-क्षेत्र में प्रयोग काल से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें जो पूरी तरह सही न हो। यदि इन तथ्यों को इकट्ठा किया जाए तो ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।



ऐतिहासिक सागरी का संकलन करते समय हमारा ध्यान केवल शासक वर्ग की गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक चेतना के स्तर, जनसाधारण की आवश्यकताओं और आन्दोलनों के बारे में भी पूरा विवरण आवश्यक तैयार करना चाहिए।

देखा जाए तो ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागमों के लिए महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या चीन की वर्तमान राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान जरूरी होगा।

तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के अनेक समर्थक किसी देश की राजनीति के विश्लेषण के लिए वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक समझते हैं। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत उस देश में प्रचलित ऐसे मूल्यों, मान्यताओं और मानकों का अध्ययन किया जाना है, जो शासन वर्ग, शासन-प्रणाली और शासन-प्रक्रिया को वैधता प्रदान करते हैं। जाहिर है किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की जानकारी के लिए उसके इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी होगा।

उदाहरण के लिए, भारतीय इतिहास की जानकारी के बिना भारत की राजनीतिक संस्कृति के बारे में कोई बात बताना ठीक नहीं होगा। इतना ही, भारत की राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के व्यवहार को समझने के लिए इनके ऐतिहासिक विकास की जानकारी लाभदायक होगी।

कानूनी या वैश्विक उपागम :- इस उपागम के अंतर्गत विन्-विन् देशों में प्रचलित संविधानों के आधार पर वहाँ की शासन-प्रणालियों के संगठनात्मक ढाँचे, शासन के अंगों की कानूनी शक्तियाँ और उनके परस्पर सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता है, और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ संगठनात्मक सुधार (Organizational Reforms) के उपायों पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत लॉर्डस का के पुनर्गठन के प्रस्ताव इस उपागम की देन हैं। इस उपागम के प्रवर्तकों में



बुडरो विलसन, डाबसी, जेम्स ब्राइस, रेन्सी व्हीयर, हर्मेन फाइर, कार्ल फ्रेडरिक आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

आज के व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक कानूनी-औपचारिक उपागम के विरुद्ध यह तर्क देते हैं कि शासन के वाहक ढाँचे का कानून से संबंधित अंगों के अध्ययन से किसी देश की प्रचारा राजनीति को सही-सही समझना मुश्किल है। परंतु, यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी देश का संविधान वहाँ की राजनीति के लिए तैयार ढाँचा प्रस्तुत करता है। संविधानों के निर्माण, संशोधन और व्याख्या के क्षेत्र में कानूनी-औपचारिक उपागम की देन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। नवोदित एस्ट्रे की राजनीति को निरूपित करने के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण है।

कुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कानूनी उपागम अपने आप में अयुक्त तो है, परंतु उसे इसके अध्ययन क्षेत्र से निकाल देना संगत नहीं होगा। किसी देश का सांविधानिक कानून वहाँ की आंगरिक राजनीति के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यही श्रुतिक निगम है। उदाहरण के लिए, भारतीय राजनीति के अध्ययन में भारत के संविधान की जानकाए जरूरी समझी जाती है, और संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालये द्वारा कानूनी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाती है। राज्य के विभिन्न अंगों विधानमण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी-अपनी शक्तियाँ और उनके परस्पर सम्बंध, मूल अधिकारों, और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की आपेक्षिक स्थिति, इत्यादि से सम्बंधित प्रबल कानून को परिधि में आते हैं, और उनका विवेचन राजनीति के अध्ययन में सहायता देता है।

संस्थागत उपागम (Institutional Approach) :- राजनीति के अध्ययन की संस्थात्मक पहलू इसकी कानूनी पहलू के साथ निकट से जुड़ी हुई है जिसे आज भी विस्तृत रूप से अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य की विभिन्न संस्थाओं - जैसे कि विधानमण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका